समाहरणालय, समस्तीपुर
(जिला आपूर्ति प्रशाखा)

आदेश

सरकार के सयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 1874 / खाद्य, दिनांक – 26.03.12 के द्वारा माह – **अप्रैल 2012 से मार्च –2013** का अन्त्योदय योजनान्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन 14 (चौदह) किलो गेहूँ एवं 21 (इक्कीस) किलो चावल कुल – 35 (पैंतीस) किलो प्रति परिवार की दर से इस जिला को कुल – 106174 अन्त्योदय परिवारों के लिए 14864.36 क्विंटल गेहूँ एवं 22296.54 क्विंटल चावल का मासिक आवंटन प्राप्त हुआ है।

प्राप्त आवंटन के आलोक में शहरी क्षेत्र / प्रखंडों में **कूपन वितरित परिवारों की संख्या के आधार पर अन्त्योदय खाद्यान्न** का उपावंटित किया जाता है।

कार्यालय आदेश ज्ञापांक – 798 / आ०, दिनांक – 21.05.2010 के द्वारा कूपन लिंक्ड खाद्यान्न का आवंटन / उठाव / वितरण के संबंध में निर्गत आदेश में सभी संबंधित को राशन कूपन दिशा–निर्देश के तहत भुगतान शुदा कूपन के आधार पर अवशेष खाद्यान्न का सामंजन करते हुए जिला स्तर से ही मासिक खाद्यान्न का उपावंटन करने का आदेश दिया गया है। **उक्त आदेश के अनुसार माह–सितम्बर 12 के भुगतान शुदा कूपन के आधार पर माह दिसम्बर 12 के खाद्यान्न का उपावंटन किया जाना चाहिए था, परन्तु राज्य खाद्य निगम से खाद्यान्न की ससमय आपूर्ति नहीं होने के कारण माह–अगस्त एवं सितम्बर 2012 के खाद्यान्न का वितरण भी अभी पूर्ण नही हो सका है। उजियारपुर प्रखंड में अभी माह जुलाई 2012 के खाद्यान्न का वितरण भी पूर्ण नहीं हो सका है।** अतः **अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर / रोसड़ा / पटोरी से माह जून एवं जुलाई 2012 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय से प्राप्त माह जून 2012 के भुगतानशुदा कूपन का प्रपत्र 22 के आधार पर अवशेष खाद्यान्न की मात्रा का सामंजन करते हुये माह दिसम्बर 2012 के लिये खाद्यान्न का उपावंटनादेश शहरी क्षेत्र / प्रखंडवार संलग्न सूची के अनुसार किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर / रोसड़ा / पटोरी माह अगस्त एवं सितम्बर 2012 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2012 के आवंटन के विरूद्ध कूपन वापसी एवं अवशेष खाद्यान्न का प्रतिवेदन अलग से** समर्पित करेंगे।

सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर जिला को आदेश दिया जाता है कि आवंटित खाद्यान्न के विरूद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से शत–प्रतिशत राशि माह–नवम्बर के **15**वीं तारीख तक राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर के द्वारा निदेशित बैंक खाता में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर को आदेश दिया जाता है की माह नवम्बर के **20वीं** तारीख तक अचूक रूप से भंडार निर्गमादेश सभी संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही जिला से निर्गत आदेश ज्ञापांक 798 / आ०, दिनांक 21.05.2010 का अनुपालन हर स्तर पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि राशन कूपन दिशा–निर्देश एवं जिला आदेश ज्ञापांक 798/आ०, दिनांक 21.05.2010 का अक्षरशः अनुपालन करते हुए अपने स्तर से आपूर्ति से जुड़े सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारियों से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे, यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी। अनुमंडल पदाधिकारी खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक अचूक रूप से जिला आपूर्ति कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्तर पर खाद्यान्न के उठाव/वितरण में बरती गयी अनियमितता एवं विभागीय निदेशों की अवहेलना अवांछनीय होगी।

ह०/–
जिलाधिकारी
समस्तीपुर

ज्ञापांक ..../आ०, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/–
जिलाधिकारी
समस्तीपुर

ज्ञापांक 1714/आ०, दिनांक 07.11.2012

प्रतिलिपि :– क्षेत्र प्रबंधक, भा०खा० निगम / जिला प्रबंधक रा०खा० निगम, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद–सह–उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान प्रणाली विश्लेषक (वैज्ञानिक)–सह–सूचना पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिला के वेबसाईट पर आम लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/11/12
जिलाधिकारी
समस्तीपुर

अन्त्योदय योजनान्तर्गत प्रखण्ड/शहरी क्षेत्रवार खाद्यान्न की उपावंटन सूची

(14 किलो गेहूँ, 21 किलो चावल प्रति परिवार की दर से)

माह :– नवम्बर 2012

जिला – समस्तीपुर

(मात्रा क्विंटल मे)

क्र० सं०	प्रखंड/शहरी क्षेत्र का नाम	अन्त्योदय परिवारों की संख्या	कूपन वितरित परिवारों की संख्या	कॉलम 4 के आधार पर आवंटित खाद्यान्न की मात्रा		प्रपत्र 22 के अनुसार अवशेष खाद्यान्न की मात्रा		अवशेष सामंजन के पश्चात आवंटित खाद्यान्न की मात्रा		अभ्युक्ति
				गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	समस्तीपुर शहर	582	582	81.48	122.22	3.22	4.83	78.26	117.39	
2	समस्तीपुर प्रखण्ड	7129	6915	968.10	1452.15	79.10	118.65	889.00	1333.50	
3	वारिसनगर प्रखण्ड	5360	5285	739.90	1109.85	59.36	89.04	680.54	1020.81	
4	खानपुर प्रखण्ड	4795	4522	633.08	949.62	85.68	128.52	547.40	821.10	
5	कल्याणपुर प्रखण्ड	8216	7952	1113.28	1669.92	77.00	115.50	1036.28	1554.42	
6	पूसा प्रखण्ड	3498	3383	473.62	710.43	18.90	28.35	454.72	682.08	
7	ताजपुर प्रखण्ड	4031	3899	545.86	818.79	32.06	48.09	513.80	770.70	
8	मोरवा प्रखण्ड	4698	4688	656.32	984.48	24.08	36.12	632.24	948.36	
9	सरायरंजन प्रखण्ड	6474	6371	891.94	1337.91	60.76	91.14	831.18	1246.77	
10	रोसड़ा शहर	855	845	118.30	177.45	23.52	34.65	94.78	142.80	
11	रोसड़ा प्रखण्ड	4195	4195	587.30	880.95	28.84	36.12	558.46	844.83	
12	शिवाजीनगर प्रखण्ड	4576	4530	634.20	951.30	21.14	31.66	613.06	919.64	
13	बिथान प्रखण्ड	3768	3728	521.92	782.88	9.34	17.79	512.58	765.09	
14	हसनपुर प्रखण्ड	5667	5513	771.82	1157.73	35.12	53.29	736.70	1104.44	
15	विभूतिपुर प्रखण्ड	8244	8244	1154.16	1731.24	33.98	35.80	1120.18	1695.44	
16	सिंघिया प्रखण्ड	5064	5064	708.96	1063.44	23.06	31.95	685.90	1031.49	
17	द० सराय शहर	708	708	99.12	148.68	6.91	9.45	92.21	139.23	
18	द० सराय प्रखण्ड	5192	5192	726.88	1090.32	17.78	28.21	709.10	1062.11	
19	विधापतिनगर प्रखंड	3871	3871	541.94	812.91	14.42	21.63	527.52	791.28	
20	उजियारपुर प्रखण्ड	7367	7367	1031.38	1547.07	24.68	36.66	1006.70	1510.41	
21	पटोरी प्रखण्ड	4555	4465	625.10	937.65	21.70	32.55	603.40	905.10	
22	मोहनपुर प्रखण्ड	2817	2731	382.34	573.51	8.82	13.23	373.52	560.28	
23	मोहिउद्दीनगर प्रखंड	4512	4428	619.92	929.88	56.84	85.26	563.08	844.62	
	योग	**106174**	**104478**	**14626.92**	**21940.38**	**766.31**	**1128.49**	**13860.61**	**20811.89**	

जिलाधिकारी

समस्तीपुर